उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 40/2025–26 | दिनांक : 10.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राधा कृष्ण पुत्र श्री रानू
ग्राम चन्दौली, खटीमा। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा। — विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री राधा कृष्ण पुत्र श्री रानू का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1P149132817 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर खराब हो गया था जिसकी शिकायत उपरांत विभाग द्वारा बदल दिया गया, लेकिन उसकी प्रविष्टि अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई। जिस कारण विद्युत बिल बहुत अधिक धनराशि में जारी होता रहा। विद्युत बिल अधिक धनराशि के कारण जमा न होने पर कई साल पहले ही विभाग द्वारा संयोजन भी काट दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की प्रविष्टि अभिलेखों में दर्ज कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 23.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.06.2025, 25.06.2025, 08.07.2025, 22.07.2025 व 06.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1459 दिनांक 02.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजकों का अवलोकन करने पर पाया कि परिवादी का विद्युत मापक खराब होने के कारण विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा दिनांक

क्रमशः 2.....

30.11.2019 को बदलकर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। परिवादी का विद्युत बिल बकाया होने के कारण उपरोक्त की विद्युत लाईन काट दी गई थी जिस कारण नया विद्युत मापक स्थापित होने के उपरान्त बीजक निर्गत नहीं हो पा रहे थे। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा दिनांक 01.05.2025 को नया विद्युत मापक फीड करने के उपरान्त माह जून 2025 में विद्युत मापक के पाठयांक के आधार पर ऑनलाईन व मैनुअली गणना करते हुए अवास्तविक धनराशि रू0 98631.00 का समायोजन देते हुए रू0 38105.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 58 / 2025--26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अशोक सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, परिवादी
ग्राम लंगड़ा भोज बरीराई, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री अशोक सिंह पुत्र श्री शेर सिंह की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1C209213706 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक प्रेषित किया जा रहा है, जबकि उनकी विद्युत खपत कम है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र पत्रांक--3153 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशानुसार परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच हेतु चैक मीटर का रजिस्ट्रेशन संख्या–20507250232 किया गया। जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को चैक मीटर शुल्क जमा किया गया, जिसके उपरांत विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को उक्त विद्युत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया गया और दिनांक 06.09.2025 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार दोनों मीटरों की रीडिंग बराबर दर्ज पायी गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या--58 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। परिवादी के अनुरोध पर इस मंच द्वारा विपक्षी विभाग को परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित करने के निर्देश दिए गए, परन्तु परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क काफी विलम्ब से दिनांक 18.07.2025 को जमा किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 06.09.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया। चूंकि सही मापक में अंकित खपत के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 95/2025–26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ए.पी. कुशवाह पुत्र श्री जे.डी. कुशवाह, परिवादी
संजय कालोनी, पंतनगर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री ए.पी. कुशवाह पुत्र श्री जे.डी. कुशवाह का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1E125162085 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर पिछले 02 माह से तेज चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किए बिना ही निरंतर खपत दर्ज कर रहा है। मीटर की वास्तविक समस्या को जानने के लिए मीटर की जांच की जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर मीटर चैक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 10.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.07.2025, 04.08.2025 व 29.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3930 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर दिनांक 16.07.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया था जिसे विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा दिनांक 06.08.2025 को फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार दोनों मापकों में 01 प्रतिशत का अंतर पाया

क्रमशः 2.....

गया है, जोकि Permisible limit के अंतर्गत है। माह अगस्त 2025 में जारी विद्युत बिल के अनुसार परिवादी पर रू0 2022.00 का वास्तविक देय भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत पर दिनांक 16.07.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 06.08.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मुख्य मापक सही पाया गया है। चूंकि सही मापक में दर्ज़ रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 59/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार,
वार्ड नं0 06, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2D204127193 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल लगभग रू0 400–500 का ही आता था लेकिन अचानक विद्युत बिल रू0 2200.00 का प्रेषित किया गया जो बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र पत्रांक–3154 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिलिंग हिस्ट्री विवरण की जांच करने पर पाया कि परिवादी की बिलिंग मीटर रीडिंग के अनुसार सही हो रही है। यदि परिवादी को अपने विद्युत मीटर पर संदेह है तो वह विभागीय नियमानुसार चैक मीटर के लिए आवेदन कर सकता है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—59 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। मीटर में अंकित खपत के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 41/2025–26 दिनांक : 10.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री सुविन्दर सिंह, **परिवादी**
ग्राम पुरनापुर बेरीघाट, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री सुविन्दर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH9M540220059 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल पिछले 3–4 सालों से अधिक भार जुड़कर आ रहा है जिसका भुगतान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। जबकि उन्होंने अपने उक्त संयोजन की क्षमता से अधिक खपत कभी नहीं की है, फिर भी विभाग द्वारा अधिक भार के एवज में बिल निर्गत किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित नलकूप विद्युत मीटर की क्षमता के अनुसार ही विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 24.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.06.2025, 25.06.2025, 08.07.2025, 22.07.2025 व 06.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1460 दिनांक 02.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बीजकों का अवलोकन करने पर पाया कि परिवादिनी के बीजक असामान्य पाठयांक के निर्गत किये गये हैं जिस कारण विद्युत बीजकों को

क्रमशः 2.....

औसतन मैनुअली संशोधन करने पर अवास्तविक धनराशि रू0 26793.00 का समायोजन देते हुए रू0 9019.40 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 97 / 2025–26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शराफत अली पुत्र श्री शेर अहमद, परिवादी
वार्ड नं0 05, जेल कैम्प रोड, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री शराफत अली पुत्र श्री शेर अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882H128171555 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल वर्ष 2020 से लगातार सी.डी.एफ. और आर.डी.एफ. के आधार पर जारी किया जा रहा है। इसी कारण विद्युत बिल बहुत अधिक हो गया है और बकाया होने के कारण विभाग द्वारा संयोजन भी काट दिया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 86423.00) को संशोधित कराने एवं संयोजन ऊर्जीकृत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 14.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.08.2025 को परिवादी के प्रतिनिधि श्री फरीद के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2363 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक दिनांक 04.06.2019 के उपरान्त आरडीएफ में निर्गत हुए है। दिनांक 04.06.2019 तक परिवादी के विद्युत बीजक 1956 पाठयांक के आधार पर निर्गत किए गये थे। वर्तमान दिनांक 25.07.2025 तक परिवादी के विद्युत मापक का पाठयांक 9447 प्रदर्शित है। अतः माह जून 2019 से वर्तमान माह जुलाई 2025 तक के विद्युत बीजक

क्रमशः 2.....

को संशोधित कर रू0 70440.40 का बना दिया गया है। साथ यह भी अवगत कराना है कि परिवादी द्वारा दिनांक 27.04.2016 के उपरान्त विद्युत बीजक के सापेक्ष कोई भी धनराशि जमा नहीं कराई गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 85/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कौशल किशोर पाण्डे पुत्र श्री हरि शंकर पाण्डे, परिवादी
कौशल्या इन्क्लेव ए44, बिगवाड़ा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री कौशल किशोर पाण्डे पुत्र श्री हरि शंकर पाण्डे का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A922971159 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल सही आ रहा था लेकिन जब से स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है तब से बिल अधिक आने लगा है। जबकि उनकी विद्युत खपत सामान्य है फिर भी बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 08.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.07.2025, 04.08.2025, 29.08.2025 व 10.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3773 दिनांक 02.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–प्रथम, रूद्रपुर की आख्यानुसार परिवादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर संख्या–12071114 की जांच हेतु बिलिंग प्रणाली द्वारा पंजीकृत संख्या–22607250735 के माध्यम से पंजीकरण किया गया। परिवादी द्वारा चैक मापक की धनराशि रू0 100.00 का भुगतान नहीं किया गया। चैक मापक की धनराशि का भुगतान न

क्रमशः 2.....

होने के कारण चैक मापक की शिकायत ऑनलाईन प्रणाली से स्वतः ही निरस्त हो गई। वर्तमान में परिवादी को माह 08 / 2025 में धनराशि रू0 1431.00 का विद्युत बिल निर्गत किया गया, जिसका भुगतान भी परिवादी द्वारा कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। मीटर में अंकित खपत के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 98/2025–26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पूनम शर्मा पत्नी श्री अनिल चौहान, **परिवादी**
आर्य नगर महेशपुरा रोड, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूनम शर्मा पत्नी श्री अनिल चौहान का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371DDM1010423 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 5195.00 का मैसेज उनके मोबाईल पर आया है जबकि उनका पिछला बिल भी प्रारम्भिक रीडिंग 15188 व अंतिम रीडिंग 15299 दर्ज करते हुए रू0 840.00 का बनाया गया था। उनका इससे पहले इतना अधिक बिल कभी नहीं आया है। मीटर बदले जाने के बाद ही इतना अधिक बिल प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 14.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 05.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 05.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6529 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर स्थापित उक्त विद्युत संयोजन की जांच करने पर पाया कि परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 17.06.2025 को पुराना मापक हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। उनके पुराने मीटर का अंतिम पाठयांक 15828 यूनिट दर्ज था। परिवादिनी के प्रश्नगत बिल में पुराने मापक की 529 यूनिट व नए मापक की 152 यूनिट को जोड़कर

क्रमशः 2.....

नियमानुसार कुल 681 यूनिट का बिल निर्गत किया गया है, जोकि 48 दिन अधिक का बिल है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मीटर रीडिंग डिटेल फोटोग्राफ एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2025 को परिवादिनी का मापक बदलकर नया मापक स्थापित किया गया। मापक बदलते समय परिवादिनी के पुराने मापक में 15828 रीडिंग दर्ज थी, जिसके अनुसार पुराने मापक की 529 यूनिट खपत का भुगतान भी परिवादिनी पर लंबित था। विपक्षी विभाग द्वारा नए मापक के प्रथम बिल में उक्त अवशेष खपत 529 यूनिट को जोड़कर कुल 681 यूनिट का बिल निर्गत किया गया, जोकि नियमानुकूल एवं सही है। वास्तविक खपत के आधर पर निर्गत बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मखाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 45/2025–26 दिनांक : 10.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अखिल कोहली पुत्र श्री एम.बी. कोहली, परिवादी
ग्राम मल्ली देवरिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री अखिल कोहली पुत्र श्री एम.बी. कोहली का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205004030 (05 एच.पी. नलकूप) पर विद्युत मापक नहीं लगा हुआ था, मापक न होने की दशा में विभाग द्वारा बताये गये निर्देशानुसार प्रतिवर्ष बिल जमा किया जाता रहा है। लेकिन विभाग द्वारा मीटर स्थापित किए जाने के उपरांत अचानक इतनी अधिक धनराशि का बिल प्रेषित किया गया है जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 30.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.06.2025, 26.06.2025, 07.07.2025, 21.07.2025, 04.08.2025 व 29.08.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3931 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा निजी नलकूप से सम्बन्धित पास बुक के अनुसार जमा रू0 4500.00 की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरांत उक्त धनराशि ब्याज सहित रू0 13338.00 कम कर दी गई है। इसके पश्चात शेष देय रू0 2,25,825.00 एवं अतिरिक्त

क्रमशः 2.....

जमानत सुरक्षा राशि रू0 11378.00 सहित दिसम्बर 2024 तक परिवादी पर कुल वास्तविक देय रू0 2,37,203.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 86/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती संदीप कौर पत्नी श्री हरपाल सिंह, **परिवादी**
सुप्रिया कालोनी, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती संदीप कौर पत्नी श्री हरपाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882H120197893 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर सितम्बर 2022 में जम्प होने के बाद से मीटर रीडर द्वारा सी.डी.एफ. में बिल जारी किया जाता रहा है, जिसकी धनराशि रू0 32220.00 लगभग हो गयी है। इसके उपरांत भी सी.डी.एफ. के आधार पर बिल प्रेषित किए जाते रहे है और दिनांक 07.02.2024 तक रू0 4,94,807.00 तक बिल पहुंच गया है। लगातार बिल बढ़ने के कारण बकाया अधिक हो गया और विभाग द्वारा बकाया पर संयोजन भी काट दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 09.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.07.2025, 06.08.2025, 29.08.2025 व 11.09.2025 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2765 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन के स्थाई विच्छेदन की

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–86 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

कार्यवाही करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या–2746 दिनांक 08.09.2025 जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार परिवादिनी के स्थाई विच्छेदन की तिथि तक लेजर देय रू0 69636.00 दिनांक 06.09.2025 को जमा किया गया है। इसके उपरान्त परिवादिनी का अंतिम बीजक रू0 7648.00 बना है, जिसका भुगतान होने के पश्चात परिवादिनी का उक्त विद्युत संयोजन पूर्णतः निरस्त कर दिया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप, संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 74/2025–26 दिनांक : **10.09.2025**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री हरवंस लाल, परिवादी
ग्राम विक्रमनगर, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री हरवंस लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU9DG02000803 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल पिछले कई वर्षों से आईडीएफ के आधार पर प्रेषित किया जा रहा है जिसका भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहा है। दिनांक 15.09.2022 को विभाग द्वारा उक्त खराब मीटर को बदला गया जिसकी सीलिंग संख्या–00162/08 जारी की गई, जिसमें पुराना मीटर को नो डिस्प्ले व नये मीटर का पाठयांक 0 रीडिंग अंकित किया गया। इस सीलिंग को सिस्टम में फीड करते समय औसतन यूनित 1384 केड़ब्लूएच दर्ज की गयी। इसके उपरांत दिनांक 05.07.2023 को बिल प्रेषित किया गया जिसमें 22451 रीडिंग दर्ज करते हुए गलत बिल प्रेषित किया गया, जो बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया, परन्तु बिल सही नहीं किया गया। इसके उपरांत दिनांक 28.12.2023 को विभाग द्वारा बिल प्रेषित किया गया जो आईडीएफ के आधार पर बनाया गया। इसके उपरांत विभाग की ओर से आये कर्मचारियों द्वारा दिनांक 06.04.2024 को पुनः मीटर बदलकर नया मीटर लगा दिया गया। जिसकी सीलिंग संख्या–00184/007 में पुराने मीटर को नो डिस्प्ले दिखाया गया। सीलिंग की ऑनलाईन प्रविष्टि करते समय औसतन यूनिट 8474 केडब्लूएच दर्ज की गयी। इसके उपरांत दिनांक 09.03.2025 को उक्त नलकूप संयोजन पर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया जिसकी सीलिंग संख्या–365/18203 जारी किया गया जिसमें पुराने मीटर का पाठयांक 3168 केडब्लूएच दर्ज किया गया और नये मीटर का पाठयांक 0 दर्ज किया गया। उक्त सभी घटनाओं के उपरांत भी विद्युत बिल सही नहीं बनाया जा रहा है जिस कारण विद्युत बिल बहुत अधिक हो गया है,

क्रमशः 2.....

विभाग द्वारा बकाया बताया हुए उक्त संयोजन भी काट दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत बिल को संशोधित कराने एवं उक्त संयोजन को ऊर्जीकृत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025, 21.07.2025, 04.08.2025 व 30.08.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3030 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि पिछली सुनवाई के दौरान मंच द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवादी के विद्युत बीजक (रू0 143725.00) को औसत खपत के आधार पर संशोधित (रू0 42688.00) कर दिया गया है। परिवादी द्वारा संशोधित बिल का भुगतान भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 99/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बिजेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री जयराम सिंह राणा, परिवादी
ग्राम गंगी गौझरिया, पटिया, झनकट, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री बिजेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री जयराम सिंह राणा का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपने उक्त परिसर पर एक नये विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 03.10.2024 को आवेदन किया गया था, जिसकी आवेदन संख्या–210310243447 है। इसके उपरांत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन स्थापित कर दिया गया। लेकिन विभाग द्वारा संयोजन स्थापित करने उपरांत आज दिनांक बिल प्रेषित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायत भी की गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित नये विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 15.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.08.2025, 30.08.2025 व 12.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1494 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का नवीन विद्युत संयोजन माह जुलाई 2025 में ऊर्जीकृत हुआ है, चूंकि आर.ए.पी.डी.आर.पी. प्रणाली में 30 दिवस के बाद ही नया विद्युत निर्गत हो

क्रमशः 2.....

पाता है, जिस कारण परिवादी का माह अगस्त 2025 में परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक (58 केडब्लूएच) के आधार पर विद्युत बीजक धनराशि रू0 380.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 100 / 2025–26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कंचन देवी वास्ते श्री सचिन रूहेला,
काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कंचन देवी की ओर से श्री सचिन रूहेला का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विभागीय वेबसाइड के माध्यम से 13 जुलाई 2025 को नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन की सभी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत शुल्क रू0 1000.00 भी जमा कर दिया गया था। इसके उपरांत विभागीय कार्यालय का दौरा किया गया तो विभाग द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। पुनः कार्यालय में मैनुअली आवेदन करना होगा। साथ ही यह भी बताया कि किया हुआ ऑनलाईन भुगतान भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। यहां यह प्रश्न है कि यदि ऑनलाईन प्रक्रिया मान्य नहीं है तो विभागीय वेबसाइड पर आवेदन पोर्टल क्यों बनाया गया है और प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शुल्क भी काटा जा रहा है। जिसे विभागीय कार्यालय स्वीकार करने से मना कर रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करते हुए संयोजन जारी किया जाए अथवा ऑनलाईन भुगतान वापिस कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 15.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 05.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 05.08.2025 व 30.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–100 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6953 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 05.08.2025 को सुनवाई के दौरान मंच द्वारा दिये गये निर्देशानुसार खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–6718 / वि0वि0ख0(का0) / उ0फॉ0 / सी0–1 दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से परिवादिनी के अस्थायी विद्युत संयोजन हेतु Reference No. 111307250221 Dated 13-07-2025 को ऑनलाईन माध्मय से जमा की गयी Registration-cum-Processing fee रू0 1000.00 वापिस किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 78/2025–26 दिनांक : 10.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कोमल रानी पत्नी श्री संदीप कुमार, परिवादी
वार्ड नं0 05, महेन्द्र कालोनी, गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कोमल रानी पत्नी श्री संदीप कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1C301190815 (02 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहा है। उनके द्वारा माह मई 2025 के विद्युत बिल रू0 2435.00 का भुगतान दिनांक 27.05.2025 को किया गया था। इसे उपरांत अचानक दिनांक 17.06.2025 को रू0 2,68,723.00 का बिल प्रेषित किया गया जो बहुत अधिक धनराशि का गलत बनाया गया है। इतना अधिक बिल देखकर परिवादी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि इतना अधिक बिल कैसे आया है जबकि उनके घर में ए.सी. भी नहीं है। नार्मल विद्युत का इतना अधिक बिल कैसे आ सकता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 26.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025, 21.07.2025, 04.08.2025 व 30.08.2025 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3041 दिनांक 30.08.2025 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि पिछली सुनवाई के दौरान मंच द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवादिनी के विद्युत बिल में संशोधन करने पर रू0 1,51,178.00 का समायोजन देते हुए रू0 1,22,652.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 102/2025--26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जितेन्द्र सिंह, परिवादी
वैशाली कालोनी, खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–376KR16127501 (03 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर जम्प होने के कारण मीटर में अत्यधिक रीडिंग प्रदर्शित हो गई। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करने ही वाला था कि स्मार्ट मीटर अभियान के चलते उनका पुराना विद्युत मीटर भी बदल दिया गया, जिसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई और ही कोई पुराने मीटर से सम्बन्धित डाटा उपलब्ध कराया गया। मीटर बदले जाने के कारण वह पुराने मीटर की जम्प रीडिंग का अधिभार उनके बिलों में जुड़ गया है जिससे वह मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित पुराने विद्युत मीटर की जांच कराने एवं जम्प रीडिंग का समायोजन देते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 05.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 05.08.2025 व 30.08.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6698 दिनांक 13.08.2025 के

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–102 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 05.08.2025 को सुनवाई के दौरान मंच द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवादी के विद्युत बिल में संशोधन करने पर रू0 15851.38 का समायोजन देते हुए रू0 2226.63 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मुयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 106 / 2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री धरम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल, परिवादी
लोक विहार कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री धरम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या–891A705131651 (03 किलोवाट घरेलू) का लोड बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है फिर भी विभाग द्वारा माह नवम्बर 2024 में 06 किलोवाट लोड दर्ज करते हुए बिल जारी किया गया है। जबकि उनका उक्त संयोजन सिंगल फेज 03 किलोवाट का है जिस पर 04 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगवाया गया है। जनवरी 2025 से उक्त संयोजन की रीडिंग लगातार हर माह ली जा रही है। इसके उपरांत भी माह जून 2025 में विद्युत लोड 06 किलोवाट दर्ज करते हुए 06 माह का बिल जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई है, परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 25.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.08.2025, 29.08.2025 व 10.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—3955 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत भार माह 11/2024 से 03 किलोवाट से बढ़कर 06 किलोवाट बिलिंग प्रणाली द्वारा स्वतः ही लगातार हो रही अधिकतम डिमाण्ड व खपत के आधार पर नियमानुसार बढ़ा दिया गया है। परिवादी के परिसर पर दिनांक 22.12.2024 को सोलर मापक संख्या—17723600 स्थापित किया गया था। जिसका विद्युत बीजक वर्तमान में बिलिंग प्रणाली में आ रही समस्या के कारण निर्गत नहीं हो रहा था, जिसके सापेक्ष वर्तमान माह 08/2025 में परिवादी के विद्युत बीजक को संशोधित कर रू0 8310.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग के बिलिंग साफ्टवेयर द्वारा परिवादी की मार्च 2024 से लगातार आ रही अधिकतम डिमांड 5.24 किलोवाट के अनुसार स्वतः ही विद्युत भार बढ़ाकर 06 किलोवाट कर दिया गया, जोकि नियमानुसार सही है। विपक्षी विभाग द्वारा माह 08/2025 में परिवादी का बिल संशोधित कर रू0 8310.00 बना दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की बिल संबंधी शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मर्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 79/2025–26 दिनांक : 10.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुनिता, परिवादी
म0नं0 668, लाहोरियान रहमखानी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुनिता का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371CUO1142052 (02 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल रू0 676.00 का ऑनलाईन भुगतान दिनांक 01.07.2025 को किया गया था। उनके बैंक खाते से पैसा डेबिड हो गया लेकिन विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल में ऑनलाईन भुगतान को समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 03.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2025 व 05.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6532 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा विद्युत बिल के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि रू0 676.00 को उनके कंज्यूमर लेजर में समायोजित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—79 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 107/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अशोक कुमार पाठक, परिवादी
जगदम्बा विहार, द्रोणासागर रोड, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री अशोक कुमार पाठक का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371AIT1054195 (04 किलोवाट घरेलू) पर सोलर पैनल भी स्थापित है। विभाग द्वारा विद्युत बिल प्रेषित किया गया है जिसमें विद्युत मीटर रीडिंग भिन्न–भिन्न दर्ज की गयी है। विद्युत मीटर में 1881 केडब्लूएच है जबकि विभागीय बिल में 760 केड्ब्लूएच दर्ज की है। उन्हें विद्युत बिल सोलर पैनल का लाभ नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर व सोलर मीटर के पाठयांक की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 25.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 05.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 05.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6538 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का प्रथम सोलर बिल दिनांक 19.02.2025 से दिनांक 01.05.2025 तक निर्गत हुआ है। परिवादी का नया मापक स्थापित किये जाते समय परिवादी के पुराने मापक में अन्तिम रीडिंग 52082 दर्ज थी। माह मई 2025 के विद्युत बिल में फाइनल रीडिंग

क्रमशः 2.....

(52082--51872=210) में वर्तमान रीडिंग 647 जोड़कर कुल इम्पोर्ट यूनिट 857 तथा परिवादी के मापक में एक्पोर्ट यूनिट 478 अंकित थी, इस प्रकार परिवादी को 379 यूनिट का विद्युत बिल निर्गत किया गया है। उसके उपरांत माह जून 2025 के विद्युत बिल में (Import Previous Reading 647-Import Present Reading 1181=534 Total Unit) तथा (Export Previous Reading 647-Export Present Reading 760=113 Total Unit) के अनुसार कुल 648 यूनिट का बिल निर्गत किया गया है। अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार परिवादी का विद्युत बिल रीडिंग के अनुसार निर्गत हुए है, सुलभ सन्दर्भ हेतु परिवादी के विद्युत बिल एवं एम.आर.आई. से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप निर्गत विद्युत बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 06.03.2025 को सोलर मीटर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा विभागीय नियमानुसार परिवादी को मीटर में अंकित रीडिंग (इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट) के अनुसार सोलर प्लांट जेनेरेशन का लाभ देते हुए बिल प्रेषित किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा सोलर मीटर में अंकित रीडिंग की पुष्टि हेतु एमआरआई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिससे बिलों में अंकित रीडिंग की पुष्टि होती है। चूंकि मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित विद्युत बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज--1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 80 / 2025–26 दिनांक : 10.09.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री चन्द्रेश गैलोथ पुत्र श्री एम.एल. गैलोथ, **परिवादी**
सी 12, ग्राउंड फ्लोर, प्रकाश रेजीडेंसी, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री चन्द्रेश गैलोथ पुत्र श्री एम.एल. गैलोथ का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–377BWT2105850 (05 किलोवाट घरेलू) को उनके द्वारा स्थायी रूप से विच्छेदित करा दिया गया है फिर भी उक्त संयोजन सक्रिय दिख रहा है और अतिरिक्त ए.एस.डी. के लिए मैसेज आ रहा है। उनके द्वारा उक्त संयोजन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, कोई बकाया शेष नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से बन्द कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 04.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2025 व 05.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5074 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी विच्छेदन उपरांत अन्तिम बिल बना दिया गया है। परिवादी द्वारा आवश्यक प्रपत्र बैंक डिटेल इत्यादि उपलब्ध कराने पर अवशेष जमानत धनराशि रू0 2227.00 वापस कर दी जाएगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने

क्रमशः 2.....

जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित अंतिम बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैठाणी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 104 / 2025–26 दिनांक : 12.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 जलीश आटा चक्की वास्ते श्री जलीश पुत्र श्री हमीद, परिवादी
आदर्श नगर, सुल्तानपुर दोराहा, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 जलीश आटा चक्की C/o श्री जलीश पुत्र श्री हमीद का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–360K000219742 (08 किलोवाट औद्योगिक) को स्थायी रूप से बन्द कराने हेतु लगभग 1.5 वर्ष पूर्व ही विभाग में मौखिक व लिखित सूचना दी गई थी लेकिन विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण प्रार्थी का बिल लगातार जारी किया जा रहा है जबकि वर्तमान में मौके पर कोई आटा चक्की नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कराने हेतु दिये गये पूर्व आवेदन पर कार्यवाही कराते हुए उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 05.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 05.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2587 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अपने उक्त विद्युत संयोजन को पूर्व में कटे होने के कारण स्थायी विच्छेदन के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। इसी क्रम में अवर अभियन्ता, 33 / 11 के0वी0 उपसंस्थान, पिपलिया से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त विद्युत संयोजन के विभागीय

क्रमशः 2.....

नियमानुसार स्थायी विच्छेदन के उपरान्त रू0 27940.00 की वास्तविक धनराशि परिवादी द्वारा जमा की जानी है तथा रू0 20459.00 फिक्टिटियस (प्राकल्पिक) होने के कारण माफ की जानी है। परिवादी द्वारा कुल रू0 27940.00 का भुगतान करने के उपरान्त ही उक्त विद्युत संयोजन के स्थाई विच्छेदन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2644 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को पुनः अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 02.08.2025 को खण्ड कार्यालय में स्वयं आकर अंतिम बिल रू0 27940.00 का भुगतान कर दिया गया है, जिसके उपरांत स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कार्यालय ज्ञाप, स्थायी विच्छेदन रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 109/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महेश चन्द जोशी, परिवादी
ग्राम विडौरा, नानकमत्ता, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री महेश चन्द जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882M408098341 (04 किलोवाट घरेलू) पर 04 किलोवाट भार का सोलर पैनल लगाया गया है। माह मई 2025 में जारी बिल की जांच करने पर पाया कि सोलर की निर्यात यूनिट रू0 4.52 की दर से ली जा रही है जबकि 04 किलोवाट भार क्षमता वाले सोलर पैनल की अन्य उपभोक्ता की रू0 5.25 की दर से दर्ज की जा रही है। यह पिछले कई महीनों से गलत गणना के आधार पर बिल बनाये जा रहे हैं। जिससे सौलर पेनल यूनिट का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने माह मई 2025 के विद्युत बिल की जांच करते हुए साथ ही पूर्व बिलों की समीक्षा करते हुए, सौलर मीटर यूनिट का पूर्ण लाभ बिलों में समयोजित कराते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 29.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025 व 11.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2764 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित सोलर PPA

क्रमशः 2.....

दिनांक 26.07.2024 को विभाग के साथ हुआ। तद्पश्चात परिवादी द्वारा Export की गई यूनिट माननीय UERC द्वारा निर्धारित Subsidy wise टैरिफ के अनुसार संशोधित कर दी गई है। संशोधन करते समय परिवादी के विद्युत बिल लेजर में धनराशि रू0 531.00 का समायोजन दे दिया गया है। संशोधन के उपरान्त परिवादी का विद्युत बिल रू0 (–) 3443.50 शेष है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप माननीय UERC द्वारा निर्धारित Subsidy wise टैरिफ, संशोधित बिल गणना एवं संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 105/2025–26 | दिनांक : 12.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दीवान सिंह, — परिवादी
वास्ते श्री वीरेन्द्र सिंह, पता–शक्तिफार्म, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दीवान सिंह की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–881J243180185 (01 किलोवाट घरेलू) जो गीता देवी के नाम दर्ज है। विभाग द्वारा दिनांक 22.06.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक की अवधि हेतु 507 यूनिट दर्ज करते हुए रू0 3149.00 का बिल जारी किया गया है जबकि उनके बिल में खपत केवल 0.78 किलोवाट दर्ज की गयी है। इससे पूर्व भी बिल 172 यूनिट दर्ज करते हुए रू0 2861.00 का जारी किया गया था जो वास्तविक खपत से अधिक का है। अधिक बिल आने से सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में विद्युत मीटर को चैक कराने हेतु रू0 100.00 का भुगतान कर मीटर की जांच भी करायी गयी थी। फिर भी बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 23.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 02.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.08.2025 व 29.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2628 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त परिसर पर दिनांक 30.07.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया था, जिसे दिनांक 19.08.2025 को फाइनल किया गया। इस दौरान पुराना विद्युत मापक लगातार बिलिंकिंग करता पाया गया, जिसे दिनांक 19.08.2025 को ही खराब मानते हुए परिवर्तित कर दिया गया। दिनांक 22.06.2025 से दिनांक 30.07.2025 तक परिवादिनी के विद्युत बीजक को औसत खपत के आधार पर एवं दिनांक 30.07.2025 के पश्चात चैक मापक में प्रदर्शित रीडिंग के अनुसार संशोधन करने पर रू0 1426.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट, संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 81 / 2025–26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुमित रावत, परिवादी
सी 12, ग्राउंड फ्लोर, प्रकाश रेजीडेंसी, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री सुमित रावत का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा माह अप्रैल 2025 में 03 किलोवाट भार का नया विद्युत संयोजन लिया गया है, जो उनके परिसर पर स्थापित है। उक्त संयोजन स्थापित होने से वर्तमान तक विभाग की ओर से कोई भी बिल प्रेषित नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नये विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक में दर्ज वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 04.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2025 व 05.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6533 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 03.08.2025 को परिवादी के नये विद्युत संयोजन का विद्युत बिल (रू0 1069.00) निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—81 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 115/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 आदिनाथ फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, परिवादी
प्लाट नं0 08, सेक्टर नं0 06, सिडकुल, आईआईई, पंतनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मै0 आदिनाथ फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000006670 (50 किलोवाट औद्योगिक) का वर्ष 2011 में विद्युत मीटर बदला गया था तथा विद्युत लोड 50 किलोवाट से बढ़ाकर 75 किलोवाट कराया गया था। जिसकी विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्यवाही की गयी थी, परन्तु विभाग द्वारा अपने अभिलेखों की प्रविष्टि ऑनलाईन सिस्टम पर नहीं की गयी है। जिस कारण वर्तमान में भी बिल में 50 किलोवाट भार ही दर्शाया जा रहा है, जिससे बिलिंग, दस्तावेज सत्यापन तथा अन्य कार्यों में परेशानी उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में लिखित पत्र अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय रूद्रपुर को भी दिनांक 15.07.2025 को दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त औद्योगिक विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर एवं विद्युत भार की वास्तविक स्थिति (भार) को सिस्टम में फीड कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 04.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025, 10.09.2025 व 11.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3990 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा माह 09 / 2011 में अपना विद्युत लोड 50 किलोवाट से बढ़ाकर 75 किलोवाट कराया था जोकि बिलिंग प्रणाली में माह 07 / 2025 तक 50 किलोवाट ही दर्ज होकर आ रहा था। परिवादी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों की सत्यता की जांच उपरान्त वर्तमान में दिनांक 01.08.2025 से विभागीय बिलिंग प्रणाली में परिवादी के विद्युत संयोजन का भार 75 किलोवाट दर्ज कर दिया गया है। साथ ही परिवादी का माह 09 / 2011 से माह 07 / 2025 तक जो विद्युत बीजक पर फिक्सड चार्ज 50 किलोवाट के अनुसार प्रभारित किये हुए है, उनको मैनुअली गणना के आधार पर संशोधित करते हुए 75 किलोवाट भार के अनुसार शेष प्रभारित होने वाली फिक्सड चार्ज धनराशि रू0 76804.00 का राजस्व निर्धारण उक्त परिवादी के विद्युत बीजक में कर दिया गया है। निर्धारण के उपरान्त परिवादी का विद्युत बीजक रू0 189527.00 बना दिया गया है जो भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र बंगाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 110 / 2025–26 दिनांक : 12.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती निधी चौधरी पत्नी श्री विक्रांत चौधरी, परिवादी
ग्राम ढकिया गुलाबों, वैशाली कालोनी, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती निधी चौधरी पत्नी श्री विक्रांत चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372AJU2141160 (03 किलोवाट घरेलू) पर सौलर पेनल स्थापित किया गया है। जब से सौलर पेनल स्थापित किया गया है तब मीटर रीडर द्वारा एम.आर.आई. नहीं की गयी है जिससे स्पष्ट वास्तविक रीडिंग का बिल प्राप्त हो सके। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर व नेट मीटर की एम.आर.आई. कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 29.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.08.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6954 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मापक में Export Reading प्रदर्शित न होने के कारण, परिसर पर स्थापित चैक मापक में उपस्थिति Import & Export Reading रीडिंग के आधार पर बिल संशोधन करने पर रू0 1145.00 का समायोजन देते हुए रू0 1623.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य

क्रमशः 2.....

स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मण्डल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 82 / 2025–26 दिनांक : 11.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह, **परिवादी**
जुड़का नं0 02, कुण्डेश्वरी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–379E126001388 (3.73 एचपी नलकूप) का विद्युत बिल रू0 47370.00 का भुगतान दिनांक 22.12.2023 को किया गया था। उक्त संयोजन नलकूप का है जिसका विद्युत बिल हर 06 माह में बनता है। विभाग द्वारा रू0 62105.00 का बिल निर्गत किया गया जो बहुत अधिक व गलत बनाया गया है जबकि जून 2025 में रू0 49469.00 का बिल प्रेषित किया गया है। उनके विद्युत मीटर में 198 यूनिट मात्र है। विभाग द्वारा उक्त नलकूप संयोजन के गलत बिल प्रेषित किए जा रहे हैं जिस कारण बिल अधिक धनराशि में निर्गत हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पर भी विद्युत बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2025, 05.08.2025 व 30.08.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—82 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—6699 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 05.08.2025 को सुनवाई के दौरान मंच द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवादी के विद्युत बिल में रू0 52936.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 (–) 3466.99 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 120/2025–26 दिनांक : 22.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह वास्ते श्री सुनिल विष्ट, परिवादी
पता–ग्राम अमाऊँ, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह की ओर से श्री सुनिल विष्ट का एक शिकायती पत्र दिनांक 12.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2L204056018 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले 02 माह से प्राप्त नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 13.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.08.2025 व 12.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1520 दिनांक 22.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के वास्तविक पाठयांक 1112 केडब्लूएच के आधार पर ही परिवादी को विद्युत बिल निर्गत किए जा रहे हैं, जिसका भुगतान भी ससमय किया जा रहा है। विभागीय नियमानुसार विद्युत बिल सही है, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मीटर

क्रमशः 2.....

रीडिंग फोटोग्राफ एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को उसके मीटर में अंकित खपत के अनुसार बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावा के साथ साक्ष्य स्वरूप बिलिंग हिस्ट्री एवं मीटर रीडिंग की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी की वर्तमान शिकायत का कोई औचित्य नहीं है। अतः परिवादी की शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 113 / 2025–26 दिनांक : 12.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनोज कुमार वास्ते श्रीमती सोनम चौहान, परिवादी
मैन मार्केट जैल कैम्प रोड, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री मनोज कुमार की ओर से श्रीमती सोनम चौहान का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–886H101101025 (01 किलोवाट व्यवसायिक) का विद्युत बिल गलत रीडिंग के आधार पर जारी किया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले साल मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग ली गई थी तभी से बिल गलत रीडिंग के आधार पर जारी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 02.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2629 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत मापक पर दिनांक 16.06.2024 को 20755 रीडिंग प्रदर्शित थी। वर्तमान दिनांक 15.07.2025 तक परिवादी के मापक में 22405 रीडिंग प्रदर्शित है। दिनांक 14.07.2024 को निर्गत बीजक में 27781 रीडिंग प्रदर्शित है, जो कि गलत है, सी.डी.एफ. में बीजक निर्गत होने के कारण 736 यूनिट का ही बीजक निर्गत हुआ है, इसके उपरांत दिनांक

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—113 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

15.07.2025 को 914 यूनिट का बीजक निर्गत हुआ है। अतः दिनांक 16.06.2025 से दिनांक 15.07.2025 तक 1650 यूनिट के बीजक निर्गत हुए है जो कि पाठयांक के अनुसार भी उचित है, परन्तु माह 07 / 2025 के विद्युत बीजक में पूर्व सी.डी.एफ. बीजक का अधिभार लगा है, जिसे संशोधित करते हुए रू0 13646.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 116/2025–26 दिनांक : 12.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 आदित्य ऑर्गेनिक फूड्स, परिवादी
प्लॉट नं0 31, अलखदेवा रोड, रतनपुरा, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी मै0 आदित्य ऑर्गेनिक फूड्स का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU0K000038012 (औद्योगिक) जो उनके उक्त परिसर में स्थापित है, यह वातानुकुलित है जिसमें मशरूम संयंत्र स्थापित है। इस परिसर में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है और संयंत्र को चलाने के लिए विद्युत की भारी मांग को पूरा करने के लिए 11 केवीए औद्योगिक कनेक्शन लिया हुआ है। लेकिन बेहद निराशा और हताशा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि माह जुलाई 2025 में लगभग 230 घण्टें से ज्यादा विद्युत कटौती का समाना करना पड़ा है जो औसतन प्रतिदिन 07 घण्टें के बराबर है। लगातार विद्युत कटौती होने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई है, परन्तु कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त औद्योगिक परिसर पर हो रही विद्युत कटौती का संज्ञान लेते हुए विद्युत कटौती को रोकने हेतु विद्युत आपूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 04.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–116/2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3040 दिनांक 30.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि श्री सुभाष आर्य, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, चीनी मिल की आख्यानुसार परिवादी का संयोजन महतोष पोषक के अन्तर्गत आता है जो कि ग्रामीण पोषक है। मौसम खराब रहने, पेड़ों की कटाई/छटाई व तार टूटने के लिए शट्डाउन तथा लाईन में पक्षी चिपकने आदि के कारण ट्रिपिंग तथा ग्रेड फेल एवं कंट्रोल से विद्युत कटौती रही तथा साइड में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलने एवं आर0डी0डी0एव0 द्वारा साइड पर केबल बदलने का कार्य कराया जा रहा था, जिस कारण विद्युत सप्लाई बाधित रह रही थी, उपभोक्ताओं को माह में 646.52 घण्टे एवं औसतन 20.85 घंटे (प्रतिदिन) विद्युत सप्लाई प्राप्त हुई है। दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.07.2025 के मध्य हुए कंट्रोल रोस्टिंग, शट्डाउन, ट्रिपिंग, ग्रेड फेल एवं ब्रेक डॉउन का मासिक विवरण आख्या भी संलग्न है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.07.2025 के मध्य हुए कंट्रोल रोस्टिंग, शट्डाउन, ट्रिपिंग, ग्रेड फेल एवं ब्रेक डॉउन का मासिक विवरण आख्या की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन को महतोष फीडर से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जोकि ग्रामीण फीडर है। उक्त फीडर में ब्रेकडाउन एवं अन्य कारणों से कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, जोकि प्राकृतिक कारण हैं। विभागीय नियमानुसार ऐसे प्राकृतिक कारणों में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में भी विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की गारण्टी दिया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। हालांकि विपक्षी विभाग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त फीडर से पोषित होने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। चूंकि परिवादी द्वारा प्रश्नगत औद्योगिक संयोजन अपने मशरूम संयंत्र हेतु लिया गया है, जिसमें परिवादी निर्बाध विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता महसूस कर रहा है। अतः परिवादी चाहे तो विपक्षी विभाग से Continious supply श्रेणी का संयोजन प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 121/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 जी0एल0डी0 एग्री फूड्स C/o श्री मदन लाल गोयल, परिवादी
पता–पिलीभीत रोड ग्राम मलपुरी, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी मै0 जी0एल0डी0 एग्री फूड्स C/o श्री मदन लाल गोयल का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–880K000007211 (600 के0वी0 औद्योगिक) एक साझेदारी फर्म है जिसका उपयोग चावल में धान के प्रसंस्करण में स्थापित है। वह उक्त फर्म के विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से करते रहे हैं। वर्ष 2019 में आयी महामारी कोविड–19 के चलते उनकी उक्त फर्म के संयंत्र एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए अप्रचलित रहे हैं जिस कारण विद्युत खपत कम हुई थी। विभाग की ओर से पत्र संख्या–2067 दिनांक 27.09.2023 प्राप्त किया गया जिसमें पूर्व बिल की मांग रू0 43,28,054.00 को संशोधित कर रू0 1,07,90,224.00 किया गया। जो लगभग शेष अतिरिक्त रू0 64,62,170.20 जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। विभाग द्वारा प्रेषित उक्त मांग नोटिस को खारिज करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में रिट याचिका संख्या–3382/2023 दायर की गयी थी, जिसको उपभोक्ता फोरम, यूपीसीएल को स्थानांनतरित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके उपरान्त याचिकाकर्ता ने विभाग द्वारा प्रेषित मांग पत्र को निरस्त करने हेतु दिनांक 25.01.2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, रूद्रपुर में आवेदन किया गया, जिसको वाद संख्या–266/2023–24 में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 03.05.2024 को उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त याचिका को खारिज करते हुए विभाग द्वारा उक्त मांग धनराशि को 18 किश्तों में समान रूप से बांटते हुए बिना अधिभार शुल्क के वसूल करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आदेश दिनांक 03.05.204 एवं विभागीय मांग पत्र दिनांक 27.09.2023 को निरस्त करने हेतु माननीय औम्बड्समैन,

क्रमशः 2.....

देहरादून के समक्ष अपील संख्या–24 दायर की गई। दिनांक 30.04.2025 को माननीय औम्बड्समैन, देहरादून द्वारा आंशिक रूप से राहत देते हुए धनराशि रू0 64,62,170.00 की वसूली को निरस्त करते हुए विद्युत बिलों में समायोजित करने हेतु निर्देशित किया गया जबकि अतिरिक्त ब्याज धनराशि रू0 43,28,054.00 को निरस्त/समायोजन नहीं किया गया है। विद्युत फोरम द्वारा अपने आदेश में किए गये विश्लेषण में संदर्भित तथ्य कि "निरीक्षण के उपरांत मीटर में 60/5 अनुपात की दो सी0टी0 लगाई गयी है एवं क्षतिग्रस्त पी0टी0 को बदल दिया गया है" का विवाद था ही नहीं। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम एवं माननीय औम्बड्समैन के समक्ष मौखिक रूप से पुष्टि की गई है।

यह संदेह से परे स्थापित है कि दिनांक 28.10.2020 के बाद शिकायतकर्ता की पैमाइश प्रणाली में इस प्रकार 60/5 (12) के अनुपात के साथ 02 नम्बर सीटी और मुख्य मीटर के साथ एक सीटी (अनुपात 40/5(8)) और पीटी स्थापित है। इस प्रकार इन परिस्थितियों में मीटरिंग प्रणाली का एमएफ (मूलभूत मांग) 12 नहीं कहा जा सकता। इसलिए जनवरी 2021 से एमएफ 8 से 12 तक संशोधित करना सही नहीं है। इसके अलावा शिकायतकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे विभाग द्वारा दिनांक 28.10.2020 को परिसर में की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि सीलिंग प्रमाण पत्र कभी प्रदान नहीं किया गया और न ही उस पर हस्ताक्षर मौजूद है। यह पूरी प्रक्रिया शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में की गयी है। गुणन कारक (एमएफ) के इस गलत संशोधन के कारण, शिकायतकर्ता से वास्तविक देय राशि से अधिक राशि वसूल की गई है। अतः उक्त वसूली अनाधिकृत और अवैध है तथा इसे ब्याज सहित वापस किया जाना आवश्यक है। शिकायतकर्ता को पूरी बात पता चली तो उसने दिनांक 06.06.2025 को विभागीय कार्यालय में एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया जिसमें एम0एफ0 को संशोधित करने एवं एकत्रित अतिरिक्त राशि को विलम्ब अधिभार सहित वापस करने का अनुरोध किया गया। विभाग की ओर से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो शिकायतकर्ता पुनः दिनांक 09.07.2025 को एक लिखित पत्र देकर अनुरोध किया गया। हालांकि इस पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए शिकायतकर्ता के पास आवश्यक राहत और निवारण के लिए वर्तमान शिकायत याचिका के माध्यम से एक प्रमुख फोरम से सम्पर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 14.07.2021 के आदेश, अपील संख्या–329/2019 में, "मैसर्स आल्प्स इण्डस्ट्रीज बनाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग" के मामले में माना कि एक बार जब वसूली अवैध या अनाधिकृत रूप से वसूल की गई मानी जाती है, तो अपीलकर्ता के अधिकार, हित और विशेषाधिकार के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए, जो उससे अनाधिकृत और अवैध रूप से वसूल की गई राशि की वापसी चाहता है। इस याचिका/शिकायत में मांगी गई राहत के लिए शिकायतकर्ता के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्ता ने माननीय फोरम, उच्च न्यायालय या भारत में किसी अन्य न्यायालय में समान शिकायत याचिका दायर नहीं की है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए मामले के अभिलेखों को अवलोकन हेतु मंगाने, विभाग को एम.एफ के वास्तविक मूल्य पर संशोधन करने हेतु निर्देशित करने, विभाग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(6) के अनुसार लागू ब्याज के साथ गुणन कारक के गलत आवेदन पर खाते में एकत्रित अतिरिक्त राशि को वापिस करने और अन्य कोई आदेश या निर्देश पारित करना, जिसे यह फोरम तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर तथा न्याय हित में उचित समझे, कार्यवाही कराने की

क्रमशः 3.....

प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खं0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 13.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025 व 11.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2635 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उक्त शिकायत में माननीय औम्बड्समैन (विद्युत), देहरादून द्वारा सम्बन्धित शिकायत के सापेक्ष दिनांक 30.04.2025 को निर्णय पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, देहरादून द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त शिकायत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दर्ज होते ही माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रूद्रपुर को रिट से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी दे दी जायेगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा अपनी वर्तमान शिकायत में विपक्षी विभाग द्वारा अपील संख्या—24 / 2024 के सम्बन्ध में माननीय औम्बड्समैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 का अनुपालन नहीं किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी *UERC (Guidelines for Appointment of Member and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievance of the Consumer) Regulation, 2019* के अनुसार माननीय औम्बड्समैन, देहरादून के आदेश का अनुपालन कराना इस मंच के क्षेत्राधिकार शामिल नहीं है। तद्नुसार परिवादी की वर्तमान शिकायत के सम्बन्ध में सुनवाई करने अथवा निर्णय पारित करने का अधिकार इस मंच को प्राप्त नहीं है। अतः परिवादी की यह वर्तमान शिकायत खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 117/2025–26 दिनांक : 12.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री रोनक सिंह, परिवादी
ग्राम कुआखेड़ा, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री रोनक सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU90365005786 (05 एच.पी. नलकूप) पर स्थापित विद्युत मापक का पाठयांक 9539 यूनिट दर्ज है जबकि मीटर रीडर द्वारा भूलवश गलत रीडिंग 13610 यूनिट दर्ज करते हुए बिल रू0 33794.00 का जारी कर दिया गया है। इसके उपरान्त आरडीएफ का बिल जारी किया गया है जो गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक 9539 के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 06.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.08.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3031 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के आर.डी.एफ. बीजक को मापक के वास्तविक पाठयांक के आधार पर संशोधित कर रू0 18113.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–117/2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 122/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सौरभ अरोड़ा पुत्र श्री मदन लाल, परिवादी
पता–आजाद नगर, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री सौरभ अरोड़ा पुत्र श्री मदन लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2G214077150 (03 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर अगस्त 2023 से खराब हो गया था। मीटर रीडर द्वारा लगातार बिल बनाये जा रहे थे और खराब मीटर की जानकारी नहीं दी गई। उस समय उक्त परिसर खाली था वह अपने गांव में निवास कर रहे थे। मीटर रीडर द्वारा माह दिसम्बर 2024 से फरवरी 2025 तक बिल जारी नहीं किया। मार्च 2025 में मीटर खराब होनी की जानकारी मिली, इसके उपरांत मई 2025 में खराब मीटर बदल दिया गया। मीटर खराब होने की अवधि में गलत बिल जारी किये जाते रहे जिनका भुगतान भी किया गया है। मीटर खराब होने की समय अवधि के दौरान गलत उपभोग के आधार पर बिल जारी किए गये हैं जो गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने खराब विद्युत मीटर अवधि के दौरान जारी गलत बिलों को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 18.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025 व 11.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4075 दिनांक 11.09.2025 के

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—122 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 11 / 2023 से माह 06 / 2025 तक के आरडीएफ व आईडीएफ एवं मीटर बदलने के उपरांत अत्यधिक औसत खपत के बिलों को संशोधित कर रू0 (–) 4214.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मर्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चेन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 123/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुशील कुमार केरवाल, परिवादी
पता–लक्ष्मी विहार 3, जयनगर नं0 03, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री सुशील कुमार केरवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306407894 (02 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल में वर्तमान व पूर्व रीडिंग 0 दर्ज करते हुए 200 यूनिट का बिल जारी किया गया है जबकि उक्त परिसर काफी लम्बे समय से बन्द है। विभाग द्वारा गलत रीडिंग दर्ज करते हुए बिल जारी किया गया है, जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 19.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025, 10.09.2025 व 11.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3991 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 15.07.2025 को विभागीय बिलिंग प्रणाली के माध्यम से सर्विस रिलीज की गई है। तद्उपरान्त दिनांक 01.08.2025 को परिवादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर संख्या–42017170 का विद्युत बिल बिलिंग प्रणाली द्वारा

क्रमशः 2.....

त्रुटिपूर्ण 200 यूनिट्स का निर्धारण करते हुए निर्गत किया गया। खण्ड स्तर से उक्त निर्गत विद्युत बिल की जांच की गयी जिसमें दिनांक 01.08.2025 को निर्गत गलत विद्युत बिल को बिलिंग प्रणाली आर.ए.पी.डी.आर.पी. अनुभाग, उपाकालि, मुख्यालय स्तर से रोल बैक कराते हुए हटा दिया गया है। वर्तमान में बिलिंग प्रणाली आर.ए.पी.डी.आर.पी. अनुभाग, उपाकालि मुख्यालय स्तर से उक्त विद्युत बिल में आ रही टेक्निकल समस्या को सही करते हुए दिनांक 15.07.2025 से दिनांक 01.09.2025 तक का संशोधित विद्युत बिल (रू0 344.00) दिनांक 10.09.2025 को निर्गत कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादी पर प्रथम निर्गत विद्युत बिल के सापेक्ष धनराशि रू0 344.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 125/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नवनीत राव पुत्र श्री भूप सिंह राव, परिवादी
म0नं0 204, डायनमिक गार्डन, किच्छा रोड, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री नवनीत राव पुत्र श्री भूप सिंह राव का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A906387858 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 16000.00 का हो गया है जबकि उनके उक्त परिसर पर कोई निवास नहीं करता है। वह किसी अन्य राज्य में नौकरी पर कार्यरत है। इस कारण वह मूल रूप से शिकायत नहीं कर सकते है। उन्होंने ई–मेल द्वारा अपने बिल के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी है, जिस पर विभागीय कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 28.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3975 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल को उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक 768 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित कर रू0 (–) 7317.00 का

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या--125 / 2025--26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज--1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 126/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मोहन चन्द्र शर्मा, परिवादी
वास्ते श्री दीप शर्मा, जनपथ रोड, फुलसुंगा, बालाजी विहार, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मोहन चन्द्र शर्मा की ओर से श्री दीप शर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212390402 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल निर्धारित तिथि पर निर्गत नहीं किया जा रहा है जिस कारण वित्तीय योजना बनाने में कठिनाई हो रही है। महीना समाप्त हो चुका है कि लेकिन विभाग द्वारा अभी तक बिल जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को निर्धारित बिलिंग चक्र के अनुरूप ही बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 30.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.09.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3956 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का माह 08/2025 का विद्युत बीजक धनराशि रू0 1742.00 का मै0 टी0डी0एस0 बिलिंग एजेंसी द्वारा निर्गत कर दिया गया है। जिसका भुगतान भी परिवादिनी द्वारा दिनांक 03.09.2025 को कर दिया गया है। साथ ही मै0 टी0डी0एस0 बिलिंग एजेंसी

क्रमशः 2....

को उक्त परिवादिनी के साथ ही अन्य समस्त उपभोक्ताओं को ससमय विद्युत बिल निर्गत करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मेयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 127/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कविता चौधरी वास्ते श्री अंकित राठी, परिवादी
नियर एस.बी.आई., हिमालयन कालोनी, कुण्डेश्वरी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कविता चौधरी की ओर से श्री अंकित राठी का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372KK12064482 (02 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है, वहीं उनके पड़ोसी के घर का बिजली तार उनके उक्त परिसर/घर के कोने को छू रहा है जो कई जगह से क्षतिग्रस्त है, जिस कारण घर में करंट आने का खतरा है। बार–बार समझाने के बाद भी पड़ोसी अपना विद्युत तार न तो बदलवा रहे है और न ही तार बांधने का कोई उपाय कर रहे है। इस सम्बन्ध में कई बार मीटर रीडर व लाईनमैन से भी शिकायत की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी उक्त समस्या का समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 30.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.09.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7214 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि अवर अभियन्ता 33/11 के.वी. उपकेन्द्र, कुण्डेश्वरी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिवादिनी के घर के पास एक एल.टी. केविल होकर गुजर रही थी,

क्रमशः 2....

जोकि क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। क्षतिग्रस्त केविल को नये केविल से बदलकर परिवादिनी के परिसर से हटा दिया गया है एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 128/2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री खीमा नन्द पुत्र श्री धनी राम, वास्ते श्री दीपक पाण्डे, परिवादी
ईश्वर कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री खीमा नन्द पुत्र श्री धनी राम की ओर से श्री दीपक पाण्डे का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU7A139148322 (08 किलोवाट घरेलू) के माह जुलाई का बिल रू0 8619.00 का प्रेषित किया गया जिसकी देय तिथि दिनांक 09.08.2025 थी। जिसका भुगतान दिनांक 07.08.2025 को ही पेटीएम के माध्यम से ऑनलाईन किया गया। लेकिन विभाग द्वारा अगस्त माह के बिल में उक्त धनराशि को बकाया दर्शाया गया साथ ही विलम्ब अधिभार शुल्क भी लगाया गया है जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 01.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3155 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिल में जमा बिल धनराशि नहीं जुड़ी है। माह 08/2025 के बिल के अनुसार देय धनराशि रू0 9608.00 (ASD अतिरिक्त) है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–128 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा जारी माह 08 / 2025 के बिल में पिछले बिल की बकाया धनराशि नहीं जोड़ी गई है, अपितु रू0 9608.00 की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जोड़ी गई है, जोकि नियमानुसार सही है। अतः परिवादी की वर्तमान शिकायत का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 129 / 2025–26 दिनांक : 23.09.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वास्ते श्री विपिन चन्द्र तिवारी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विपिन चन्द्र तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K00001101 (21 किलोवाट व्यवसायिक) का माह जून 2025 के विद्युत बिल में गलत केवीएएच दर्ज करते हुए रू0 3831.60 का कम पॉवर फैक्टर अधिभार लगाया गया है जोकि गलत है। जबकि उनके परिसर पर कोई मोटिव लोड नहीं जुड़ा है। उनका औसत पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से ज्यादा रहता है। पीएफ सरचार्ज की गलत वसूली को ठीक करने के लिए कई बार विभागीय कार्यालय में शिकायत भी की गई है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही एम.आर.आई. रिपोर्ट दी गई है। जिस कारण लगातार बिल बढ़ोत्तरी हो रही है और विलम्ब अधिभार शुल्क लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए संशोधित बिल जारी कराने एवं आवश्यक मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 01.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3834 दिनांक 04.09.2025 के

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–129 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 06 / 2025 के विद्युत बिल में निर्गत लॉ पॉवर फेक्टर सरचार्ज की धनराशि रू0 3861.00 को मापक संख्या–यूपीसी06340 की एम.आर.आई. करने पर गलत पाया गया। अतः परिवादी के माह 06 / 2025 के विद्युत बीजक में निर्गत लॉ पॉवर फेक्टर सरचार्ज की धनराशि रू0 3861.00 को एम.आर.आई. के आधार पर विद्युत बिल में समायोजित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य